हिमाचल प्रदेश सरकार
जल शक्ति विभाग

## अधिसूचना

संख्याः जे0एस0वी–बी(ए)3–1/2023 तारीखः शिमला–171002, 06.04.2023

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश जल–विद्युत उत्पादन पर जल उपकर अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 7) की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं,–अर्थातः–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भः–(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश जल–विद्युत उत्पादन पर जल उपकर नियम, 2023 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.– (1) इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "प्राधिकृत अधिकारी" से अधीक्षण अभियन्ता या आयोग द्वारा पदाभिहित कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(ख) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;

(ग) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

(घ) ''अधिनियम" से हिमाचल प्रदेश जल–विद्युत उत्पादन पर जल उपकर अधिनियम, 2023 अभिप्रेत है; और

(ड.) "परिसर"(रों) से कोई भूमि या योजना की भूमि का कोई भाग या ऐसा अन्य स्थान अभिप्रेत है जहां मापन यंत्र लगाया जाना है या जो ऐसे स्थापन हेतु प्रयुक्त की जाती है अथवा उपयोग में लाए जाने हेतु आशयित है।

(2) उन शब्दों और पदों जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं है, के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके हैं।

3. योजना का प्रतिष्ठापन.–कोई व्यक्ति जो जल–विद्युत उत्पादन के प्रयोजन के लिए जल के अपेक्षित उपयोग वाली योजना के प्रतिष्ठापन हेतु वांछा रखता है, यथास्थिति उर्जा विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण भारत सरकार द्वारा सम्यक रूप से स्वीकृत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को प्ररूप–I में रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन के साथ प्रस्तुत करेगा। प्रत्येक योजना के साथ निम्नलिखित संलग्न होगाः–

(क) आवेदक या उसके अभिकर्ता के नाम व पते सहित आवेदक द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित अनुमोदित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की एक प्रति, प्रस्तावित परियोजना स्थल और बांध स्थल के नक्शों की प्रति, बांध का आकार (लम्बाई और चौड़ाई), बांध की क्षमता, परियोजना के लिए अपेक्षित जल की मात्रा और परियोजना की क्षमता;

(ख) प्रस्तावित योजना के लिए उपयोग किए जाने वाले जल का स्त्रोत और मात्रा;

(ग) योजना के निष्पादन की रीति;

(घ) योजना का प्रत्याशित काल और राज्य में इसकी वापसी हेतु रीति (मोडैलिटी), यदि कोई हो;

(ड.) सरकार के साथ निष्पादित करार या समझौता ज्ञापन की प्रति;

(च) सरकार के साथ निष्पादित भूमि के स्वामित्व/कब्जा या पट्टा विलेख का साक्ष्य;

(छ) स्कीम की अनुमानित लागत;

(ज) यदि आवेदक एक रजिस्ट्रीकृत कम्पनी है तो संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद और रजिस्ट्रीकरण की प्रति; और

(झ) ऐसी अन्य सूचना जैसी आयोग द्वारा अपेक्षित हो।

4. रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने हेतु अनिवार्यता.– (1) उपयोगकर्ता जल के उपयोग हेतु रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए आयोग को आवेदन करेगा।

(2) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने हेतु प्रत्येक आवेदन प्ररूप–I पर किया जाएगा और यह रूपए 500/–(पांच सौ रूपए) की फीस के साथ होगा।

5. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करने की प्रक्रिया.– (1) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करने का आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् आयोग उपयोगकर्ता को निम्नलिखित विनिर्दिष्ट करते हुए धारा 8 के अधीन प्ररूप–II में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी कर सकेगा:–

(क) योजना जिसके लिए प्रमाण पत्र जारी किया गया है;

(ख) उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग किए जाने वाले जल का स्त्रोत;

(ग) उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग किए जाने वाले जल की मात्रा;

(घ) उपयोगकर्ता द्वारा संदत्त किए जाने वाले जल उपयोग प्रभारों की दर और रकम;

(ड.) रजिस्ट्रीकरण की विधिमान्यता की अवधि;

(च) निबन्धन और शर्तें जिनके अध्यधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है ; और

(छ) उपयोगकर्ता द्वारा राज्य/केन्द्र सरकार के साथ ईकाई की प्रतिष्ठापन हेतु निष्पादित किया गया समझौता ज्ञापन।

6. उपयोगकर्ता द्धारा निष्पादित किया जाने वाला करार.–नियम 5 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के जारी होने के पश्चात् उपयोगकर्ता प्रारूप–III में आयोग के साथ तद्द्वारा यह कथन करते हुए कि उसमें समस्त आवश्यक सावधानियां और उपाय किए गए हैं; करार निष्पादित करेगा।

7. विद्यमान उपयोगकताओं हेतु रजिस्ट्रीकरण की अनिवार्यता.— (1) प्रत्येक उपयोगकर्ता जिसने अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व जल के उपयोग की अपेक्षा हेतु विद्युत के उत्पादन के लिए किसी ईकाई का प्रतिष्ठापन किया है, अधिनियम में यथाविनिर्दिष्ट अवधि के भीतर रूपये 500/— ( पांच सौ रूपये ) की फीस के साथ प्रारूप—I में जल के उपयोग के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु आयोग को आवेदन करेगा:

परन्तु रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करने में इस प्रकार असफल रहने की दशा में; उपयोगकर्ता को रजिस्ट्रीकृत हुआ समझा जाएगा और वह अधिनियम के उपबंधो के अनुसार धारा 15 के अधीन सरकार द्वारा यथानियत जल उपकर का पन्द्रह दिन के भीतर संदाय करने हेतु दायी होगा, ऐसा ना होने पर आयोग द्वारा उसे दिए गए जल उपकर बिल के अनुसार उस पर शास्ति अधिरोपित की जाएगी।

(2) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्रक्रिया.— रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु आवेदन की प्राप्ति के पश्चात आयोग, निम्नलिखित विनिर्दिष्ट करते हुए, धारा—10 (2) के अधीन प्ररूप—II में उपयोगकर्ता को रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी कर सकेगा:—

(क) योजना जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी किया गया है;

(ख) उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग किए गए जल का स्त्रोत;

(ग) उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग किए गए जल की मात्रा;

(घ) उपयोगकर्ता द्वारा संदत्त किए जाने वाले जल उपयोग प्रभारों की दर और रकम;

(ड) रजिस्ट्रीकरण की विधिमान्यता की अवधि;

(च) निबंधन और शर्तें जिनके अध्यधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण—पत्र प्रदान किया गया है; और

(छ) उपयोगकर्ता द्वारा केन्द्र/राज्य सरकार के साथ निष्पादित किया गया समझौता ज्ञापन।

8. विद्यमान उपयोगकर्ताओं द्वारा निष्पादित किया जाने वाला करार.— नियम 7 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण—पत्र जारी किए जाने के पश्चात उपयोक्ता प्ररूप—III में तद्द्वारा यह कथन करते हुए कि उसमें समस्त अनिवार्य सावधानियां और उपाय लिए गए हैं; आयोग के साथ करार निष्पादित करेगा।

9. प्राधिकृत अधिकारी की शक्तियां और कृत्य.—प्राधिकृत अधिकारी निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थातः.—

(क) उपयोगकर्ता से आवेदन को प्राप्त करना और आवेदन का इसके अनुलग्नकों सहित परीक्षण करना;

(ख) सूर्योदय और सुर्यास्त के समय के मध्य कालिक निरीक्षण के सम्बंध में किसी भूमि पर या किसी योजना या उसके भाग के परिसरों के भीतर प्रवेश करना;

(ग) सुर्योदय और  सूर्यास्त के मध्य जल विद्युत उत्पादन हेतु जल उपयोग के संबंध में किसी भूमि पर या योजना या उसके भाग के परिसरों के भीतर प्रवेश करना;

(घ) जल विद्युत विकासकों को लिखित में दिए जाने  वाले नोटिस की तामील करवाना, उन्हें जल के उपयोग के निर्धारण के प्रयोजन हेतु और ऐसी सूचना, जैसी अपेक्षित हो, को प्रस्तुत करने हेतु विनिर्दिष्ट समय के भीतर उसके समक्ष प्रस्तुत होने हेतु बुलाया जाना और प्रत्येक व्यक्ति, जिसे ऐसा नोटिस तामील किया जाए नोटिस की अपेक्षानुसार उपस्थित होने हेतु तथा ऐसी कोई सूचना जैसी अपेक्षित की जाए और जो उसके संज्ञान में हो, देने हेतु बाध्य होगा।

(ङ)  खण्ड (घ) के अधीन नोटिस की सम्यक रुप से तामील के पश्चात् उपयोगकर्ता द्वारा निकाले गए जल के निर्धारण पर  विचारण करना चाहे ऐसे व्यक्ति, जिन पर ऐसा नोटिस तामील किया गया है, उपस्थित हों या न हों; और प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो ऐसे नोटिस की अपेक्षानुसार उपस्थित होने में असफल रहता है, उसी रीति में और उसी विस्तार तक निर्धारण के परिणामतः बाध्य होगा मानो निर्धारण उसकी उपस्थिति में किया गया हो;

(च) कोई जांच करना, यदि निर्धारण के क्रम में निर्धारित किए गए जल उपयोग के संबंध में कोई विवाद पाया जाता है तो साक्षियों को समन करना और उन्हें उपस्थित करना, दस्तावेजों को प्रस्तुत करने हेतु बाध्य करना तथा सम्बन्धित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् लिखित में आदेश पारित करना; और

(छ) यह सुनिश्चित करना कि रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–प्रत्र प्रदान करने के पश्चात् अधिनियम की धारा 6 के खण्ड(क) के उपबंधों के अनुसार प्ररुप III के अनुरुप करार हस्ताक्षरित किया गया है।

आदेश द्वारा

अमिताभ अवस्थी
सचिव (जल शक्ति)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

**प्ररूप–1**

{नियम 3, 4(2) और 7(1) देखें }

**रजिस्ट्रीकरण प्ररूप**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | योजना का नाम | | |
| 2. | अवस्थान के ब्यौरे | 1. | जिला........... |
| | | 2. | तहसील/खण्ड ब्लॉक............................ |
| | | 3. | ग्राम........................................... |
| | | 4. | निकटतम शहर..................................... |
| | | 5. | अन्तर्ग्रहण.................................................<br><br>अक्षांश..................................उत्तर<br>देशान्तर.................................पूर्व |
| | | 6. | विद्युत घर<br>अक्षांश..................................उत्तर<br>देशान्तर.................................पूर्व |
| 3. | स्वामित्व के ब्यौरे | | |
| 4. | पत्राचार ब्यौरे | 1. | नाम.................................... |
| | | 2. | पता.......................................... |
| | | 3. | ई–मेल............................................. |
| 5. | परियोजना प्रभारी का नाम और पदनाम | 1. | नाम.................................... |
| | | 2. | पता.......................................... |
| | | 3. | टेलीफोन/फैक्स.......................... |
| | | 4. | ई–मेल |
| 6. | परियोजना के तकनीकी ब्यौरे | 1. | प्रवर्तित करने/अनुमोदन/प्रस्तुतीकरण का वर्ष............................................ |
| | | 2. | नदी/घाटी.......................................... |
| | | 3. | कुल शीर्ष............................................... |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 4. | परिकल्पित शीर्ष.................................... |
| | | 5. | परिकल्पित संयंत्र दक्षता............................ |
| | | 6. | अधिकतम बहाव (क्यूमेक्स.)................... |
| | | 7. | औसत वार्षिक बहाव (क्यूमेक्स.).............. |
| | | 8. | प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट..................... |
| | | 9. | गत तीन वर्षों हेतु मासिक–वार वास्तविक उत्पादन मिलियन (यूनिटस) . ............................ |
| | | 10. | गत तीन वर्षो में उत्पादन हेतु उपयोग किए गए जल की मासिक–वार मात्रा (क्यूमेक्स)......................................... |

उपरोक्त रजिस्ट्रीकरण प्ररूप सम्यक् रूप से भरा जाएगा और कार्यपालक इंजीनियर, जल विज्ञान, सी एंड एम डिवीजन, जल शक्ति विभाग, टूटीकंडी, शिमला–04 के पक्ष में आहरित 500 / – रूपए के अप्रतिदेय डिमांड ड्राफट सहित निम्नलिखित को प्रस्तुत किया जाएगा :–

अधीक्षण अभियन्ता (जल विज्ञान)
जल शक्ति विभाग, टूटीकंडी, शिमला–04

**प्ररूप–II**

(नियम 5 और 7 (2) देखें)

## रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र

हिमाचल प्रदेश जल–विद्युत उत्पादन पर जल उपकर अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रवर्तित/निर्माणाधीन/प्रस्तावित जल–विद्युत परियोजना, जो................................में...............................
..खण्ड..................................... जिला..................................... में नदी/नाला/गढेरा.................
...में ..........................नदी घाटी में................मैगाावाट की प्रतिष्ठापित क्षमता सहित अवस्थित है, को एतद् द्वारा रजिस्ट्रीकरण संख्या.....................................के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत किया गया है।

(प्राधिकृत अधिकारी की मुहर सहित हस्ताक्षर)

शिमला
तारीखः–

## प्ररूप–III

(नियम 6 और 8 देंखें)

## करार

हिमाचल प्रदेश जल–विद्युत उत्पादन पर जल उपकर राज्य आयोग, जिसका प्रतिनिधित्व अधीक्षण अभियन्ता या विभाग के प्राधिकृत अधिकारी ................................................द्वारा किया गया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''प्रथम पक्षकार'' कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति के अंतर्गत, जब तक कि यह संदर्भ या उसके अर्थ के प्रतिकूल न हो, उसका उत्तराधिकारी, या प्रथम भाग का अनुज्ञात समनुदेशिती समझा जाएगा।

और

श्री.............................. पुत्र श्री..............................निवासी.................................(जिसे इसमें इसके पश्चात् उपयोगकर्ता ''द्वितीय पक्षकार'' कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति के अंतर्गत, जब तक कि संदर्भ या उसके अर्थ के प्रतिकूल न हो, उसका उत्तराधिकारी, या द्वितीय भाग का अनुज्ञात समनुदेशिती समझा जाएगा के मध्य तारीख.................................को करार किया गया है;

द्वितीय पक्षकार ने जल–विद्युत उत्पादन हेतु जल के उपयोग के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र प्रदान करने हेतु आवेदन किया है और प्रथम पक्षकार ने इसमें यथा नीचे सहमत निबंधन और शर्तों पर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए सहमति प्रदान की हैः–

1. प्रथम पक्षकार हिमाचल प्रदेश जल–विद्युत उत्पादन पर जल–उपकर अधिनियम, 2023 के उपबन्धों के अधीन जल–उपकर अधिरोपित करने के प्रयोजनार्थ..........................में......................इकाई की बावत द्वितीय पक्षकार को रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र जारी करेगा।
2. द्वितीय पक्षकार हाईड्रोलिक/जल–संसाधन इंजीनियरिंग के क्षेत्र से किसी सक्षम इंजीनियर द्वारा कालिक निरीक्षणों की व्यवस्था करेगा और उस पर दिये गये समस्त सुझावों/सिफारिशों का अपने खर्चें पर अक्षरशः कार्यान्वयन करेगा;
3. द्वितीय पक्षकार उत्तरवर्ती मास की पांच तारीख को या उससे पूर्व प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित मासिक आधार पर जल के उपयोग (घन मीटर) के ब्यौरे उपलब्ध करायेगा तथा जब कभी प्रथम पक्षकार द्वारा अपेक्षित हो जल उपयोग अभिलेख आसानी से उपलब्ध करायेगा।
4. द्वितीय पक्षकार जल–विद्युत उत्पादन हेतु निकाले गये जल को मापने के प्रयोजनार्थ स्कीम के परिसर के भीतर या ऐसे अन्य स्थान पर जहां आयोग उचित समझें मापन–उपकरणों को प्रतिष्ठापित करेगा।
5. यदि प्रवाह–मापन–उपकरण प्रतिष्ठापित नहीं किया गया है या वह त्रुटियुक्त

है, तो आयोग द्वितीय पक्षकार द्वारा निकाले गये जल के निर्धारण हेतु किसी प्ररोक्ष पद्धति को अपनायेगा, जो आबद्धकर और अंतिम होगी तथा इस प्रकार निर्धारित जल–उपकर द्वितीय पक्षकार द्वारा संदत्त किया जायेगा।

6. द्वितीय पक्षकार पर्याप्त सुरक्षाकर्मी अभिनियोजित करके प्रवाह–मापन उपकरणों का उचित कार्यकरण, बचाव और सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।

7. यदि कोई जल–मापन उपकरण या उपकरण की कोई फिटिंग क्षतिग्रस्त है, तो द्वितीय पक्षकार, अपने खर्चे पर उपकरण को बदलने के लिए उत्तरदायी होगा, ऐसा न होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार पर पच्चास हजार रूपये, की शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी।

8. द्वितीय पक्षकार कपटपूर्वक या बेईमानी से किसी प्रवाह–मापन उपकरण का सूचकांक परिवर्तित नहीं करेगा या किसी उपकरण को आपूर्ति किए गए जल की वास्तविक मात्रा को रिकार्ड करने से नहीं रोकेगा; या उसे रिकार्डिग के प्रयोजनार्थ स्थापित मापन–उपकरण उस को रिकार्ड किये जाने से पूर्व निस्सारित नहीं करेगा या नहीं निकालेगा; या मापन–उपकरण से छेड़छाड़ नहीं करेगा, छेडछाड़ किये गये उपकरण को प्रतिष्ठापित या उपयोग नहीं करेगा; किसी ऐसे अन्य उपकरण या पद्धति का उपयोग नहीं करेगा, जो आपूर्ति किये गये जल के शुद्ध या उचित रजिस्ट्रीकरण, अंशांकन या माप से छेड़छाड़ करती हो।

9. द्वितीय पक्षकार, हिमाचल प्रदेश जल–विद्युत उत्पादन पर जल उपकर अधिनियम, 2023 और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों का पालन और अवलोकन करेगा।

| **प्रथम पक्षकार** | **द्वितीय पक्षकार** |
|---|---|
| साक्षी | साक्षी |
| 1. | 1. |
| 2. | 2. |

**(Authoritative English text of this Department Notification No.JSV-B(A)3-1/2023, dated 06-04-2023 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India).**

**Government of Himachal Pradesh**
**Jal Shakti Vibhag**

**Notification**

**No. JSV-B(A)3-1/2023 Dated: Shimla-2, 06th April, 2023**

In exercise of the powers conferred by section 42 of the Himachal Pradesh Water Cess on Hydropower Generation Act, 2023 (Act No. 7 of 2023), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules, namely:—

1. **Short title and commencement.-**(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Water Cess on Hydropower Generation Rules, 2023.

   (2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

2. **Definitions. -** (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

   (a) "Authorized officer" means Superintending Engineer or any officer designated by the Commission;

   (b) "Form" means a Form appended to these rules;

   (c) "section" means the section of the Act;

   (d) "Act" means the Himachal Pradesh Water Cess on Hydropower Generation Act, 2023; and

   (e) "Premise(s)" means any land or part of land of the scheme or such other place where measuring device is to be fixed or which is used or intended to be used for such installation.

(2) Words and expressions used but not defined in these rules, shall have the same meaning as respectively assigned to them in the Act.

**3. Installation of Scheme**.-Any person intending to install a scheme requiring usage of water for the purpose of generation of hydro-power, shall submit the detailed project report duly sanctioned by Department of Energy, Government of Himachal Pradesh or Central Electricity Authority, Government of India as the case may be, accompanied with an application for registration on FORM-I. Every scheme shall be accompanied by,-

(a) one copy of approved Detailed Project Report with name and address of the applicant or his agent duly signed by the applicant, copy of the maps of the proposed project site and the dam site, the dimensions of the dam, the capacity of the dam, the magnitude of water required for the project and the capacity of the project;

(b) the source and quantity of water to be used for the proposed scheme;

(c) the mode of execution of the scheme;

(d) the expected life of the scheme and the modalities for its return to the state, if any;

(e) copy of the Agreement or Memorandum of Understanding executed with the Government;

(f) the proof of ownership/possession of land or lease deed executed with the Government;

(g) the approximate cost of the scheme;

(h) if the applicant is a registered company, copy of Registration and

the Memorandum and Articles of Association; and

(i) such other information as may be required by the Commission.

**4. Requirement of obtaining a Registration.- (1)** The user shall apply to the Commission for grant of Registration Certificate for use of water.

(2) Every application for grant of registration Certificate shall be on FORM-I and accompanied by a fee of Rs.500/- (Rupees Five Hundred).

**5. Procedure for grant of Registration Certificate. -** After receipt of an application for grant of Registration Certificate, the Commission may issue a Registration Certificate on FORM-II under section 8 to the user specifying the following:-

(a) The scheme for which the registration is issued;

(b) The source of water to be used by the user;

(c) The quantity of water to be used by the user;

(d) The rate and amount of water usage charges to be paid by the user;

(e) The period of validity of the registration;

(f) The terms and conditions subject to which the Registration Certificate has been granted; and

(g) The MoU executed by the user for installation of unit with the State/Central Government.

**6 Agreement to be executed by the user.-** After issuance of Registration Certificate under rule 5, the user shall execute an Agreement with the Commission in FORM-III undertaking thereby to take all necessary precautions and measures therein.

**7 Requirement of registration for existing users.-** (1) Every user who has installed a unit for generation of electricity requiring usage of water prior to the commencement of the Act shall, within a period as specified in the Act apply to the Commission for grant of a Registration Certificate for use of water on FORM-I accompanied by a fee of Rs.500/-(Rupees Five Hundred):

Provided that in case of such failure to apply for registration certificate, the user shall be deemed to have been registered and liable to pay water cess as fixed by the Government under section 15 within fifteen days failing which penalty shall be imposed, if any, as per water cess bill raised to him by the Commission as per the provisions of the Act.

(2) Procedure for grant of Registration Certificate. **-** After receipt of an application for grant of Registration Certificate, the Commission may issue a Registration Certificate under section 10 (2) to the user in FORM-II specifying the following:-

(a) The scheme for which the registration is issued;

(b) The source of water to be used by the user;

(c) The quantity of water to be used by the user;

(d) The rate and amount of water usage charges to be paid by the user;

(e) The period of validity of the registration;

(f) The terms and conditions subject to which the registration certificate has been granted; and

(g) The MoU executed by the user with the Centre/State Government.

**8. Agreement to be executed by existing users.-**After issuance of

Registration Certificate under rule 7, the user shall execute an Agreement with the Commission in FORM-III undertaking thereby to take all necessary precautions and measures therein.

9. **Powers and functions of the Authorized Officer.-** The Authorized Officer, shall exercise the following powers and functions, namely: -

**(a)** to receive the application from the user and examine the application alongwith its enclosures.

**(b)** to enter upon any land or premises within the scheme or part thereof in connection with the periodical inspection between the hours of sunrise and sunset;

**(c)** to enter upon any land or premises within the scheme or part thereof in connection with water usage for hydropower generation between the hours of sunrise and sunset ;

**(d)** to cause a notice in writing to be served on the hydropower developers, calling upon them to appear before him within a specified time for the purpose of assessment of usage of water and for producing such information, as may be required and every person on whom such notice may be served shall be bound to appear as required by the notice and to give any information which may be required and is within his knowledge;

**(e)** after due service of notice under clause (d), to proceed with the assessment of water drawn by user whether the persons upon whom such notice has been served are present or not; and every such person who fails to appear as required by the said notice shall be bound by the results of the assessment in the same manner and to the same extent as if the assessment were made in his presence;

**(f)** to hold an inquiry, if in the course of the assessment, a dispute is found to exist as to the water usage to be assessed, summon and enforce attendance

of witnesses, compel production of documents and to pass an order, in writing, after giving opportunity of being heard to the parties involved; and

**(g)** to ensure that, post providing the Registration Certificate, Agreement is signed as per FORM-III in accordance with the provisions of section 6 of the Act.

By Order

Amitabh Avasthi
Secretary (JS) to the
Govt. of Himachal Pradesh.

# FORM-I
## [See rules 3, 4 (2)& 7(1)
## Registration Form

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1** | **Name of Scheme** | | |
| **2** | **Details of location** | **1** | **District** ……………………………………… |
| | | **2** | **Tehsil/Block** ……………………………………… |
| | | **3** | **Village** ……………………………………… |
| | | **4** | **Nearest City** ……………………………………… |
| | | **5** | **Intake** ……………………………………… **Latitude** ………………………………………**N** **Longitude** ………………………………………**E** |
| | | **6** | **Power house** **Latitude** ………………………………………**N** **Longitude** ………………………………………**E** |
| **3** | **Details of Ownership** | | |
| **4** | **Correspondence details** | **1** | **Name** ……………………………………… |
| | | **2** | **Address** ……………………………………… |
| | | **3** | **Email** ……………………………………… |
| **5** | **Name and Designation of Project incharge** | **1** | **Name** ……………………………………… |
| | | **2** | **Address** ……………………………………… |
| | | **3** | **Telephone/FAX** ……………………………………… |
| | | **4** | **Email** ……………………………………… |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Technical details of Project | | 1 | **Year of commissioning/Approval/Submission ………………………………………** |
| | | | 2 | **River/Basin ………………………………………** |
| | | | 3 | **Total head ………………………………………** |
| | | | 4 | **Design head ………………………………………** |
| | | | 5 | **Designed plant efficiency** |
| | | | 6 | **Maximum discharge ( cumecs) ………………………………………** |
| | | | 7 | **Average annual discharge (cumecs)** |
| | | | 8 | **Installed capacity (MW)** |
| | | | 9 | **Month-wise actual generation for last three years (Million units)** |
| | | | 10 | **Month wise volume of water used for generation in last three years (cumecs)** |

Above Registration Form shall be duly filled in and accompanied with non-refundable demand draft of Rs. 500/- drawn in favour of the Executive Engineer, Hydrology, C&M Division, Jal Shakti Vibhag, Tuttikandi, Shimla-4 and shall be submitted to:-

**Superintending Engineer (Hydrology)**
**Jal Shakti Vibhag, Tuttikandi, Shimla-4.**

# FORM-II
## [See rules 5 and 7(2) ]
## Registration Certificate

In exercise of the powers conferred by the Himachal Pradesh Water Cess on Hydropower Generation Act, 2023 (Act No. 7 of 2023), the Commissioned/under Construction /proposed ……………………….. hydroelectric project which is located ……………..in ……………… block …………. district………………… on river/nala/gadhera ………….. in……………………… river basin of ………… with installed capacity of ……………………………..MW is hereby registered bearing registration No. ……………………………….

Shimla

Date:- Authorised officer with seal

**FORM-III**

[See rules 6 and 8]

**AGREEMENT**

An agreement made on this the________________day of_________20____between the Himachal Pradesh State Commission for Water Cess on Hydro-power Generation represented by the Superintending Engineer or Authorized Officer ___________________________________________Department (hereinafter called the 'First Party' which expression shall unless it be repugnant to the context or meaning thereby be deemed to include it successor(s) or permitted assigns, of the First Part

AND

Mr.________________________________________S/o___________R/o___ (hereinafter called the user 'Second Party' which expression shall unless it be repugnant to the context or meaning thereof be deemed to include its successor(s) or permitted assigns, of the Second Part.

Whereas, the Second Party has applied for grant of Registration Certificate for the usage of water for Hydro power generation and the First Party has agreed to issue the Registration Certificate on the terms and conditions agreed as herein below:-

1. The First Party shall issue the registration certificate to the Second Party in respect of _______________________________unit at _________________ for the purpose of imposition water cess under the provisions of Himachal Pradesh Water Cess on Hydro power Generation Act, 2023.

2. The Second Party shall arrange periodic inspections by a competent Engineer from the field of hydraulic/water resources engineering and

shall implement all suggestions/recommendations given there on in letter and spirit at his expenses;

3. The Second Party shall provide the details of usage of water(cubic meter) on monthly basis duly signed by authorized representative on or before 5th of subsequent month and shall keep water usage record readily available as and when required by the First Party.

4. The Second Party shall install measuring devices within the premises of scheme or at such other place where the Commission deems fit for purposes of measuring the water drawn for hydropower generation.

5. If the flow measuring device is not installed or is faulty, the Commission shall adopt any indirect method for assessment of water drawn by the Second Party which shall be binding and final and water cess so assessed shall be paid by the Second Party.

6. The Second Party shall ensure proper functioning, safety and security of the flow measuring devices by deploying sufficient guards.

7. In case any water measuring device or any of the fitting of the device is damaged, the Second Party shall be responsible to replace the device forthwith at its own cost, failing which penalty of rupees fifty thousand shall be imposed on the Second Party by the First Party.

8. Second Party shall not fraudulently or dishonestly alter the index of any flow measuring device or prevent any device from recording the actual quantity of water supplied; or extract or draw water before it has been recorded by the measuring device set up for the purpose of recording the same; or tamper the measuring device, install or use a tampered device; or use any other device or method which interferes with accurate or proper registration, calibration or metering of water supplied.

9. The Second Party shall abide by and observe the provisions of the

Himachal Pradesh Water Cess on Hydropower Generation Act, 2023 and rules made thereunder.

| First Party | Second Party |
|---|---|
| Witness | Witness |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |